

डिक्री पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 156/2018

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2018/01505


वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1. भंवर भारती पुत्र कानभारती
2. चैनभारती गोदपुत्र पहाड़ भारती
जाति स्वामी निवासी सुरपुरा
तहसील कल्याणपुर व जिला
बालोतरा

1. खेताराम पुत्र पुनमाराम जाति सुथार
निवासी सुरपुरा तहसील कल्याणपुर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 156/2018

निर्णय दिनांक :- 18.2.2026

वादीगण की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 18.2.2026 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:—वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, कि ग्राम सुरपुरा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 850/255,849/255 व 851/255 भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दंखलदान्जी नहीं करे।



तारीख 18.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(अशोक कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद क खच

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस	---	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	---	जोड़	---




 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.)बालोतरा